

18/8/22

पत्तावली पेरा दुर्ब । अधि. उभय पक्षकारान उप।
 प्रकरण में प्रार्थना द्वारा प्रार्थना पत्र 183 B राजस्थान
 कारतकारी अधिनियम के साथ प्र. पत्र 212 R-T-Act
 का पुरन्त किया गया । मूल प्रार्थना पत्र 183 B रा. का.
 अधि. का खारिज किया जा चुका है । जिससे इस प्रकरण
 में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है । अतः प्रार्थना पत्र
 212 रा. का. अधि. का इसी स्तर पर खारिज किया
 जाता है । पत्तावली फॉसल शुमार लेकर नम्बर से कम
 हो ।

निर्णय सुनाया गया ।